बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

1. 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2024 में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में नामांकन कराने की अनुमति नहीं दिये जाने, तथा
2. दिनांक–16.03.2024 से प्रारम्भ हो रहे 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2024 में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में नामांकन कराने की अनुमति नहीं देने के संबंध में आवश्यक सूचना

राज्य के +2 विद्यालयों में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा, 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 11वीं कक्षा में नामांकित सभी विद्यार्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है, किन्तु कुछ विद्यार्थियों के इस परीक्षा में शामिल नहीं होने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो सर्वथा अनुचित है।

2. उक्त के आलोक में एतद् द्वारा राज्य के +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0 शि0) तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा, 2024 में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में नामांकन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात् 12वीं कक्षा में 11वीं के उन्हीं विद्यार्थियों को प्रोन्नत (Promote) किया जाएगा, जो इस वार्षिक परीक्षा, 2024 में शामिल हो कर उत्तीर्ण होंगे।

3. इसी प्रकार, **दिनांक–16.03.2024** से प्रारम्भ हो रहे 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2024 में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में नामांकन लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। अर्थात् 10वीं कक्षा में 9वीं के उन्हीं विद्यार्थियों को प्रोन्नत (Promote) किया जाएगा, जो इस वार्षिक परीक्षा, 2024 में शामिल हो कर उत्तीर्ण होंगे।

4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी उपर्युक्त कंडिका–2 एवं 3 में वर्णित निदेशों का अनुपालन करने हेतु अपने स्तर से निदेशित एवं अनुश्रवण करेंगे।

सचिव

पी.आर. 110/2024

Scanned with CamScanner